

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

राजेंद्र यादव

बनाम

बिहार राज्य

2019 का आपराधिक आवेदन (खं.पी.) सं.1173

09 सितंबर 2024

(माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार और माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार)

विचार के लिए मुद्दा

अपील- यह अपील उस निर्णय के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके अंतर्गत अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 तथा पोक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 4 और 6 के अंतर्गत दोषी ठहराया गया है।

हेडनोट्स

अपीलकर्ता को भा.दं.सं. की धारा 376 के अंतर्गत आजीवन कारावास, ₹1,00,000/- का जुर्माना, तथा जुर्माना न देने की स्थिति में एक वर्ष का साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है। पोक्सो अधिनियम की धारा 4 और 6 के अंतर्गत प्रत्येक के लिए 20 वर्ष का कठोर कारावास, ₹10,000/- का जुर्माना तथा जुर्माना न देने पर छह माह का साधारण कारावास की सजा दी गई है।

घटना वर्ष 2017 की है, जब भा.दं.सं. की धारा 376 एवं पोक्सो अधिनियम की धारा 4 और 6 के अंतर्गत 20 वर्ष की न्यूनतम सजा या आजीवन कारावास (अर्थात् जीवन भर) अनिवार्य नहीं थी।

निर्णय- समग्र साक्ष्यों के विश्लेषण के पश्चात कुछ तथ्य स्थापित होते हैं। पीड़िता के साथ बलात्कार हुआ, जिसमें उसे जननांगों पर लाक्षणिक चोटें - जैसे कटाव एवं खरोंचें - प्राप्त हुई। (कंडिका 33)

अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत यह बचाव कि उसे झूठा फंसाया गया है, विश्वास योग्य प्रतीत नहीं होता। (कंडिका 34)

यद्यपि कुछ महत्वपूर्ण स्थानीय निवासियों की गवाही नहीं हुई, और न ही अपीलकर्ता का परीक्षण दं.प्र.सं. की धारा 53 के अनुसार किया गया, तथापि पीड़िता की गवाही को पूर्णतः अस्वीकार करना कठिन है। (कंडिका 36)

अपीलकर्ता को दोषसिद्ध ठहराना उचित पाया गया। (कंडिका 37)

यह तथ्य ध्यान में रखते हुए कि अपीलकर्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, वह एक पारिवारिक व्यक्ति है, और भविष्य में उसके पुनः अपराध करने की संभावना नहीं है, उसे अधिकतम सजा देना उचित प्रतीत नहीं होता। (कंडिका 52)

इसके अतिरिक्त, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(1) के अंतर्गत यह संरक्षण भी है कि किसी भी व्यक्ति को उस कृत्य के लिए दंडित नहीं किया जाएगा जो उस समय कानून के अंतर्गत अपराध नहीं था, और उसे उस समय के लागू कानून के अनुसार ही दंड दिया जाएगा, अधिक नहीं। (कंडिका 53)

अपीलकर्ता का जेल में पिछले साढ़े सात वर्षों का आचरण उत्कृष्ट रहा है। उसने अन्य बंदियों को शिक्षा प्रदान की, जिसे जेल अधीक्षक ने प्रमाण-पत्र के माध्यम से सराहा है। रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं है जिससे यह लगे कि अपीलकर्ता पुनः सुधार के योग्य नहीं है और उसे अधिकतम सजा दी जानी चाहिए। (कंडिका 54)

धारा 376 भा.दं.सं. और पोक्सो अधिनियम की धाराओं 4 और 6 के अंतर्गत 10 वर्ष की सजा पर्याप्त और न्यायसंगत मानी जाती है। (कंडिका 55)

सभी सजाएँ साथ-साथ चलेंगी। (कंडिका 57)

अपील खारिज की जाती है, किन्तु सजा में संशोधन किया जाता है। (कंडिका 59)

अपील – यह अपील उस निर्णय के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके अंतर्गत अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 तथा पोक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 4 और 6 के अंतर्गत दोषी ठहराया गया है।

अपीलकर्ता को धारा 376 भा.दं.सं. के अंतर्गत आजन्म कारावास, ₹1,00,000/- का जुर्माना, तथा जुर्माना न देने की स्थिति में एक वर्ष का साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है। पोक्सो अधिनियम की धारा 4 और 6 के अंतर्गत प्रत्येक के लिए 20 वर्ष का कठोर कारावास, ₹10,000/- का जुर्माना तथा जुर्माना न देने पर छह माह का साधारण कारावास की सजा दी गई है।

घटना वर्ष 2017 की है, जब भा.दं.सं. की धारा 376 एवं पोक्सो अधिनियम की धारा 4 और 6 के अंतर्गत 20 वर्ष की न्यूनतम सजा या आजीवन कारावास (अर्थात् जीवन भर) अनिवार्य नहीं थी।

निर्णय – समग्र साक्ष्यों के विश्लेषण के पश्चात कुछ तथ्य स्थापित होते हैं। पीड़िता के साथ बलात्कार हुआ, जिसमें उसे जननांगों पर लाक्षणिक चोटें – जैसे कटाव एवं खरोंचें – प्राप्त हुईं। (कंडिका 33)

अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत यह बचाव कि उसे झूठा फंसाया गया है, विश्वास योग्य प्रतीत नहीं होता। (कंडिका 34)

यद्यपि कुछ महत्वपूर्ण स्थानीय निवासियों की गवाही नहीं हुई, और न ही अपीलकर्ता का परीक्षण दं.प्र.सं. की धारा 53 के अनुसार किया गया, तथापि पीड़िता की गवाही को पूर्णतः अस्वीकार करना कठिन है। (कंडिका 36)

अपीलकर्ता को दोषसिद्ध ठहराना उचित पाया गया। (कंडिका 37)

यह तथ्य ध्यान में रखते हुए कि अपीलकर्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, वह एक पारिवारिक व्यक्ति है, और भविष्य में उसके पुनः अपराध करने की संभावना नहीं है, उसे अधिकतम सजा देना उचित प्रतीत नहीं होता। (कंडिका 52)

इसके अतिरिक्त, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(1) के अंतर्गत यह संरक्षण भी है कि किसी भी व्यक्ति को उस कृत्य के लिए दंडित नहीं किया जाएगा जो उस समय कानून के

अंतर्गत अपराध नहीं था, और उसे उस समय के लागू कानून के अनुसार ही दंड दिया जाएगा, अधिक नहीं। (कंडिका 53)

अपीलकर्ता का जेल में पिछले साढ़े सात वर्षों का आचरण उत्कृष्ट रहा है। उसने अन्य बंदियों को शिक्षा प्रदान की, जिसे जेल अधीक्षक ने प्रमाण-पत्र के माध्यम से सराहा है। रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं है जिससे यह लगे कि अपीलकर्ता पुनः सुधार के योग्य नहीं है और उसे अधिकतम सजा दी जानी चाहिए। (कंडिका 54)

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता/ओं के लिए: श्री रमाकांत शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए: श्री अभिमन्यु शर्मा, एपीपी

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट्स बनाया गया: अमित कुमार मल्लिक, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2019 की आपराधिक आवेदन (खं.पी.) सं. 1173

लौकाही थाना मामला सं-53 वर्ष-2017 जिला-मधुबनी से उद्भूत

=====

राजेंद्र यादव, पिता-स्वर्गीय हरिलाल यादव, निवासी गाँव-सननपट्टी, थाना-लौकाही, जिला-मधुबनी ।

.... ..अपीलकर्ता/ओं

बनाम

बिहार राज्य

... ..उत्तरदाता/ओं

=====

उपस्थिति

अपीलकर्ता/ओं के लिए : श्री रमाकांत शर्मा , वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री अभिमन्यु शर्मा , एपीपी

=====

गणपूर्ति: माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार

मौखिक निर्णय

(प्रति: माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार)

दिनांक : 09-09-2024

हमने अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रमाकांत शर्मा और राज्य के विद्वान एपीपी , श्री अभिमन्यु शर्मा को सुना है।

2. एकमात्र अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 तथा पोक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 4 एवं 6 के अंतर्गत दोषी ठहराया गया है, जैसा कि दिनांक 01.08.2019 को पारित निर्णय में उल्लेखित है। दिनांक 06.08.2019 को पारित दण्डादेश के

अनुसार, अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है तथा ₹1,00,000/- का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने का भुगतान न करने की स्थिति में, एक वर्ष का साधारण कारावास भुगतान होगा। पोक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 4 एवं धारा 6 के तहत, प्रत्येक के लिए 20-20 वर्षों का सश्रम कारावास, ₹10,000/- (प्रत्येक) का जुर्माना तथा जुर्माना अदा न करने की दशा में प्रत्येक के लिए छह-छह महीने का साधारण कारावास भुगतान होगा।

3. सभी सजा को एक साथ चलाने का आदेश दिया गया है।

4. 30.03.2017 को, पीड़िता, एक आठ वर्षीय लड़की, के साथ अपीलकर्ता द्वारा बलात्कार किया गया था, जब वह टेलीविजन कार्यक्रम देखने के लिए उसके घर गई थी। पीड़िता ने स्वयं दिनांक 31.03.2017 को प्राथमिकी दर्ज कराई जो सदर अस्पताल, मधुबुनी में पुलिस उप निरीक्षक कंचन कुमारी द्वारा दर्ज की गई, जो उक्त समय महिला पुलिस थाना, मधुबुनी में तैनात थीं। उसका कहना था कि जब वह टेलीविजन देखने के लिए 30.03.2017 की शाम को अपीलकर्ता के घर गई थी, तो पड़ोस के अन्य बच्चे भी वहाँ मौजूद थे। इसके बाद उसने आरोप लगाया कि उसके बाद अपीलकर्ता ने उसे अपने कमरे में बुलाया और उसके साथ बलात्कार कि या। जब उसके गुप्तांगों से खून बहने लगा तो वह चिल्लाने लगी। उसके दोस्तों ने दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। इसके बाद अपीलकर्ता ने दरवाजा खोला और वह बाहर आई और अपने घर की ओर बढ़ गई। रास्ते में वह अपनी माँ (अभियोजन साक्षी-3) से मिली। उसने यह भी आरोप लगाया है कि वह सड़क पर बेहोश हो गई थी और जब उसे होश आया तो उसने खुद को अस्पताल में पाया।

5. उपरोक्त वर्णित पीड़िता के फर्दबयान के आधार पर, लौकाही थाना में दिनांक 31.03.2017 को मामला सं. 53/2017 भारतीय दंड संहिता की धारा 376 तथा बाल यौन

शोषण निवारण अधिनियम, 2012 की धारा 4 एवं 6 के अंतर्गत जांच के लिए दर्ज किया गया।

6. पुलिस ने जाँच के बाद अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया, जिसके बाद वह मकुदमा चला।

7. विचारण न्यायालय अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाहों और बचाव पक्ष की ओर से तीन गवाहों से पूछताछ करने के बाद अपीलकर्ता को दोषी ठहराया और उपर्युक्त उल्लेख के अनुसार दोषी ठहराया और दंडित किया

8. अभियुक्त की प्रमुख तर्क यह है कि वह पीड़िता का दादाजी है तथा उसे इस झूठे मामले में फँसाया गया है, जिसका कारण केवल यह है कि अपीलकर्ता द्वारा पीड़िता के चाचाओं को की गई भूमि हस्तांतरण को लेकर एक संपत्ति विवाद उत्पन्न हो गया था। उस भूमि के एक भाग में, जिसे अपीलकर्ता ने बेचा था, बाँस के झंडे थे, जिन्हें अपीलकर्ता काटकर ले जाना चाहता था, लेकिन खरीदारों द्वारा उसे ऐसा करने से रोक दिया गया।

9. अपीलकर्ता का दूसरा तर्क यह है कि घटना के समय उसे गलत तरीके से 45 वर्ष का व्यक्ति बताया गया है। तथ्य यह है कि विचारण न्यायालय ने भी उनकी आयु 65 वर्ष आंकी है।

10. इसके अतिरिक्त, यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि हालांकि मेडिकल बोर्ड द्वारा पीड़िता की जांच के दौरान केवल उसके गुसांगो पर घाव पाया गया, फिर भी न्यायालय प्रथम दृष्टया अपीलकर्ता के पहनावे (कपड़ों) पर फॉरेंसिक जांच में वीर्य के चिन्ह पाए से प्रभावित हुआ। फॉरेंसिक रिपोर्ट की प्रामाणिकता पर कोई प्रतिवाद किए बिना, श्री शर्मा ने न्यायालय का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया है कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं है जिससे यह स्पष्ट हो कि वह फॉरेंसिक रिपोर्ट उसी कपड़े से संबंधित है, जिसे पुलिस ने कथित रूप से जब्त किया था। इस संदर्भ में, श्री शर्मा ने जांच अधिकारी की गवाही की

और ध्यान आकृष्ट किया, जिसमें उसने यह कहा है कि उसे अपीलकर्ता के कपड़े सुन्दर देवी नामक महिला द्वारा प्राप्त हुआ था , परंतु सुन्दर देवी का अपीलकर्ता से क्या संबंध है, यह बात इस मामले के किसी भी अभिलेख में उल्लिखित नहीं है।

11. उन्होंने आगे तर्क दिया है कि साक्ष्य स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हैं कि अपीलकर्ता की गिरफ्तारी उसके घर से नहीं, बल्कि घटना के अगले दिन की गई थी। अतः, अभियोजन की ओर से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 53 के अंतर्गत अपीलकर्ता की चिकित्सकीय जांच कराना अत्यंत आवश्यक था। यद्यपि धारा 53 दं.प्र.सं में निहित प्रावधान अनिवार्य नहीं हैं, फिर भी बार-बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह चेताया गया है कि यदि अभियोजन ऐसी जांच नहीं करता है, तो उसे यह स्पष्ट करना होगा कि कोड में उपलब्ध इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया का सहारा क्यों नहीं लिया गया। ऐसे स्पष्टीकरण के अभाव में अभियोजन का मामला निश्चित रूप से कमजोर होता है।

12. अंततः, यह भी प्रस्तुत किया गया है कि गवाहों के बयानों में विसंगतियाँ हैं, विशेष रूप से जब उनकी तुलना पीड़िता द्वारा पहले अपने फर्दबयान में किए गए खुलासे, तत्पश्चात कथन 164 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए बयान, तथा विचारण न्यायालय के समक्ष दी गई गवाही से की जाती है।

13. यह भी तर्क दिया गया है कि पीड़िता के किसी भी मित्र, जिस ने कथित रूप से अपीलकर्ता का दरवाजा अंदर से बंद होने पर खटखटाया था, से मुकदमे में पूछ ताछ नहीं की गई है। गवाह कोई और नहीं बल्कि पीड़िता के रिश्तेदार हैं। दिलचस्प बात यह है कि पीड़िता के पिता की जाँच नहीं की गई है।

14. उपर्युक्त तर्कों के विपरीत, विद्वान एपीपी, श्री अभिमन्यु शर्मा ने तर्क दिया है कि मामले की रिपोर्ट करने में कोई देरी नहीं हुई है। बच्चों का शब्दकोश सीमित होता है। उसके द्वारा कही गई कि सी भी बात को उसके सीमित ज्ञान और अभिव्यक्ति के साथ एक

बच्चे द्वारा दिए गए बयान के संदर्भ में समझना होगा। पीड़िता का कथन, विशेष कर जब वह एक बालिका पीड़िता हो, तो उसे बयानों की एकरूपता के संदर्भ में अत्यधिक सूक्ष्म जांच की आवश्यकता नहीं होती है।

15. अभियोजक ने आगे तर्क दिया कि बिना किसी विलंब के, अभियोजन पक्ष ने पीड़िता को चिकित्सा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसका सदस्य डॉ. रमा झा और डॉ. गर्गी सिन्हा (अभियोजन साक्षी सं 6 एवं 7 क्रमशः) थे। यद्यपि उन्होंने योनि मुख द्वार को अक्षुण्ण पाया, परंतु वह अपनी अवलोकन में स्पष्ट थे कि योनि पर चोट के निशान थे। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि आरोपी द्वारा अपनी फर्जी तरीके से फंसाए जाने का बचाव, जो कि संपत्ति संबंधी विवाद के कारण किया गया हो, विश्वास योग्य नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि पीड़िता के पिता वह विक्रेता नहीं थे। आरोपी का अगर पीड़िता के चाचा के साथ कोई विवाद होता, तो भी पीड़िता को क्रूरता का शिकार बनाने का कोई तर्कसंगत कारण नहीं था, विशेष कर ऐसे गांव में जहां सभी समुदाय के लोग रहते हैं। अधिवक्ता ने यह भी कहा कि स्थानीय लोग विभिन्न कारणों से गवाही देने के लिए सामने नहीं आ सकते हैं। यह कारण चाहे किसी बंधुत्व या सम्बन्धित प्रभाव से हो, परंतु स्वयं इस कारण से अभियोजन पक्ष के पक्ष को इतना संदिग्ध नहीं माना जाना चाहिए कि पूरी तरह से उसकी विश्वसनीयता नकार दी जाए।

16. पूरा अभिलेख देखने और पक्षकारों के वकीलों की तर्क सुनने के पश्चात् हमने पाया कि यद्यपि पीड़िता मात्र आठ वर्ष की बालिका थी, परंतु उसने अपने आरोपों में स्पष्टता और साहस दिखाया। निश्चित रूप से, अपनी सीमित शब्दावली के कारण उसने केवल यह कहा कि आरोपी ने उसके साथ “अश्लील कृत्य” किया है। तथापि, उसने यह भी समझाया कि वह किन परिस्थितियों में आरोपी के घर पर मौजूद थी, जहां वह अन्य पड़ोस के बच्चों के साथ थी। गाँव के बच्चों के लिए यह आम बात थी कि वेटेलीवि जन कार्यक्रम म देखनेके लिए आरोपी के घर इकट्ठा होते थे। उन अनेक बच्चों में, जिसमें लड़कियां भी

थीं, आरोपी की दृष्टि विशेष रूप से पीड़िता पर पड़ी, जो उसकी पोती के संबंध में है। उसे आरोपी के कमरे में लेजाकर इस प्रकार का लज्जास्पद और दण्डनीय कृत्य किया गया। पीड़िता का तत्क्षण चार चिकित्सकों की चिकित्सा बोर्ड के समक्ष परीक्षण किया गया, जिनमें से दो चिकित्सकों को अभियोजन साक्षी सं 6 और 7 के रूप में प्रस्तुत किया गया। यह तथ्य अभियोजन पक्ष के कथ्य को और अधिक विश्वसनीय बनाता है कि पीड़िता आरोपी की कामवासना की शिकार बनी थी, जिसमें उसे चोटें आयी और रक्तस्राव भी हुआ उसकी तत्काल चिकित्सा परीक्षा अत्यंत आवश्यक थी।

17. डॉ. रमा झा (अभियोजन साक्षी सं-6) ने यह पाया कि पीड़िता के यौनांगों का विकास नहीं हुआ था। उसके शरीर पर कोई बाहरी चोट के निशान नहीं पाए गए। केवल उसके गुप्तांगों पर ही चोटें पायी गयी है। यद्यपि हाइमन फटा हुआ नहीं था, परंतु उस पर चारों ओर लसैरेशन (फटने के घाव) पाए गए। स्पर्श करने पर भी रक्तस्राव नहीं हुआ। चोटों की किनारियाँ स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं थीं। लेबिया माइनोरा पर भी लसैरेशन पाया गया, परंतु वहां से भी रक्तस्राव नहीं हो रहा था। चिकित्सकीय परीक्षण के समय, चोटों की अनमानित आयु लगभग 24 घंटे बताई गई।

18. अभियोजन साक्षी सं-6 ने योनि स्वैब की पथोलॉजिकल जांच का भी उल्लेख किया है, जो सदर अस्पताल, मधुबनी के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. पी. मिश्रा द्वारा की गई थी, जिसमें शुक्राणु की कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। योनि स्राव की जांच में कोई भी निष्कर्ष प्राप्त नहीं हुआ।

19. शारीरिक और रेडियोलॉजिकल जांच के आधार पर पीड़िता की उम्र 7 से 8 वर्ष के बीच आंकी गई थी। इसलिए अभियोजन साक्षी-6 ने निष्कर्ष निकाला कि पीड़िता के निजी हिस्से पर चोट बलात्कार के प्रयास के कारण हो सकती है।

20. हालाँकि, प्रति परीक्षा में, वह अधिक स्पष्ट थी कि उसे बलात्कार का कोई संकेत नहीं मिला और यदि पीड़िता किसी खुरदरे और कठोर पदार्थ पर गिरती है तो चारों ओर हाइमेन पर घाव हो सकता है।

21. ऐसी ही टिप्पणियाँ बोर्ड की एक अन्य सदस्य डॉ. गर्गी सिन्हा द्वारा भी की गईं, जिन्हें अभियोजन साक्षी -7 के रूप में परीक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया है।

22. पीड़िता को मेडिकल बोर्ड लाने में कोईसमय बर्बाद नहीं हुआ। फिर भी, बलात्कार का कोई निश्चित संकेत नहीं दिखाई देता है। हालाँकि चिकित्सीय से , यह बहुत स्पष्ट हो जाता है कि स्पष्ट हो जाता है कि पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया था जसौ कि भा.दं.वि की धारा 375 के तहत परिभाषित किया गया है, जो उसके निजी अंगों पर चोटों से स्पष्ट है।

23. इस सदंर्भ में, हमने शोभा कुमारी (अभियोजन साक्षी -2), फुल कुमारी देवी (अभियोजन साक्षी -3) और निरसी देवी (अभियोजन साक्षी-4) के बयानों की भी जांच की है, जो क्रमशः पीड़िता की चाची, मां और दादी हैं।

24. शोभा कुमारी (अभियोजन साक्षी -2), जो कि अपने पति की दूसरी पत्नी हैं, ने अभियोजन पक्ष के कथन का इस सीमा तक समर्थन किया है कि उन्हें यह ज्ञात हुआ था कि अपीलकर्ता ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया है। हालाँकि , परिवार के साथ अपीलकर्ता के संबंध होने के बावजूद , वह अपीलकर्ता के बारे में कोई अन्य विवरण देने की स्थिति में नहीं थीं। उन्हें इस बात की भी जानकारी नहीं थी कि अपीलकर्ता ने उनकी जानकारी में उनके पति और उनके भाइयों को कोई भूमि हस्तांतरित की थी अथवा बाँस काटने को लेकर कोई विवाद हुआ था।

25. जिरह के दौरान, उन्होंने यह स्वीकार किया कि उन्हें घटना की जानकारी केवल पीड़िता और उसकी मां(अभियोजन साक्षी -3) से मिली थी।

26. इस सदंर्भ में, हमने जांच अधिकारी (अभियोजन साक्षी-5) की गवाही का संज्ञान लिया है, जिन्होंने यह प्रमाणित किया है कि अभियोजन साक्षी-2 ने कभी यह नहीं कहा था कि यह घटना 30.03.2017 की संध्या को हुई थी तथा यह भी कि पीड़िता का पहले इलाज फुलपरास में और उसके बाद मधबुनी में कराया गया था। इसके अतिरिक्त, अभियोजन साक्षी -2 ने पीड़िता के खून से सने| अंडरगारमेंट्स के संबंध में भी कुछ नहीं कहा था।

27. पीड़िता की माता (अभियोजन साक्षी-3) ने अभियोजन पक्ष के मामले का पूर्णतः समर्थन किया है। जब पीड़िता घर नहीं लौटी, तो अभियोजन साक्षी-3 उसे खोजने के लिए घर से बाहर निकलीं, और रास्ते में उन्होंने देखा कि अन्य बच्चे पीड़िता को लेकर आ रहे थे। जैसे ही पीड़िता अभियोजन साक्षी-3 के पास पहुँची, वह बेहोश हो गई। इसके बाद उसे लौकाही अस्पताल ले जाया गया, और वहाँ से सदर अस्पताल, मधबुनी में भर्ती किया गया। जब पीड़िता को मधबुनी अस्पताल में होश आया, तब उसने अपनी मां(अभियोजन साक्षी -3) को पूरी घटना की जानकारी दी। अभियोजन साक्षी-3 के अनुसार, अपीलकर्ता का घर उनके घर के समीप ही है। पहले पीड़िता को लौकाही अस्पताल लाया गया था, और उसके साथ मनीषा, अभियोजन साक्षी-2, अभियोजन साक्षी-3 तथा दिनेश यादव भी अस्पताल गए थे। पीड़िता लगभग 4 से 5 घंटे तक बेहोश रही और उपचार के बाद ही उसे होश आया। अभियोजन साक्षी-3 ने इस सझाव से स्पष्ट रूप से इनकार किया कि यह मामला इसलिए दर्ज किया गया क्योंकि अपीलकर्ता को उन बाँस के पेड़ों को काटने से रोका गया था, जो उस भूमि पर स्थित थे जिसे उसने पीड़िता के चाचाओं को बेचा था।

28. हालांकि, जाँचकर्ता इस बात से इनकार किया है कि अभियोजन साक्षी-3 अपीलकर्ता द्वारा पीड़ित को अपने कमरे में ले जाने और उसके साथ यौन संबंध बनाने के बारेमेंकोई विवरण दिया था। उसने जांचकर्ता के सामने यह भी खुलासा नहीं किया था कि पीड़िता के निजी अंगों से खून बह रहा था। उसने यह नहीं बताया था कि पीड़िता के साथ गाँव के अन्य बच्चे भी थे।

29. हमने यह भी पाया है कि पीड़िता की दादी (अभियोजन साक्षी-4) ने भी अभियोजन मामले का समर्थन किया है, लेकिन इस हद तक नहीं कि उसने विचारणीय न्यायालय के समक्ष गवाही दी है क्योंकि जांचकर्ता के बयान से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अभियोजन साक्षी-4 द्वारा भी कोई विवरण नहीं दिया गया था। अभियोजन साक्षी-4 ने इस बात से भी इनकार किया है कि दोनों परिवारों के बीच कोई विवाद है जो इस मामले में अपीलकर्ता को गलत तरीके से फंसाने के लिए प्रेरक कारक हो सकता है।

30. जाँच अधिकारी (अभियोजन साक्षी-5) वह व्यक्ति नहीं थे, जिन्होंने पीड़िता का फर्दबयान दर्ज किया था। उन्होंने अपीलकर्ता के (कपड़े को जब्त किया था, जो उन्हें सुन्दर देवी नामक महिला द्वारा सौंपे गए थे। हालाँकि उन्होंने जप्ती सूची (प्रदर्श 3) तैयार की थी, लेकिन यह स्पष्ट किए बिना कि सुंदर देवी कौन थीं और किन कपड़ों को जाँच अधिकारी को सौंपा गया था, अभियोजन पक्ष उस साक्ष्य से कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। उन्होंने पीड़िता के अतंर्वस्वत्र भी जब्त किए थे (प्रदर्श-2)। अपीलकर्ता को उन्होंने सननपट्टी चौक से गिरफ्तार किया और तत्पश्चात उसे थाने लाया गया।

31. जाँच अधिकारी (अभियोजन साक्षी-5) की गवाही अथवा सम्पूर्ण अभिलेखों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि अपीलकर्ता का कोई चिकित्सकीय परीक्षण किया गया था, जबकि घटना के तुरंत बाद ही उसकी गिरफ्तारी की गई थी। अभियोजन साक्षी-5 ने पीड़िता को मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाकर उसका कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत दर्ज कराया था।

32. इसके अतिरिक्त, तथा अभियोजन साक्षी-2, 3 और 4 द्वारा उसके समक्ष दिए गए बयानों को उसके स्मरण के अलावा, उसके पास विचारणीय न्यायालय को प्रस्तुत करने के लिए कोई विशेष तथ्य नहीं था।

33. जिन सभी साक्ष्यों पर हमने अभी चर्चा की है, उनके विश्लेषण पर कुछ तथ्य स्थापित होते हैं। पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया जिसमें उसके निजी अंगों पर चोटें आईं। यह घाव और चीटों की प्रकृति में था। हालांकि, मेडिकल बोर्ड के किसी भी सदस्य ने इस तरह की चोट की गंभीरता के बारे में बात नहीं की। मेडिकल बोर्ड की राय में प्रभाव मूल्यांकन लगभग अस्तित्व में नहीं है।

34. अपीलकर्ता द्वारा अपने विरुद्ध लगाए गए आरोप को निराधार मानने का कोई ठोस और यथार्थ कारण अभिलेखों में प्रतीत नहीं होता। यदि अपीलकर्ता को बाँस के वृक्ष काटने से रोका गया था, तो ऐसा होने पर वह स्वयं पीड़ित था। अभियोजन पक्ष का यह आरोप नहीं है कि इसी कारण वह पीड़िता के परिवार से बदला लेना चाहता था।

35. हमने इस तथ्य का संज्ञान लिया है कि अभियोजन द्वारा उन बच्चों तथा गांव के अन्य निवासियों की जांच नहीं की गई, जिन्होंने अपीलकर्ता के बंद दरवाजे को पीटा था, और इस गैर-परीक्षण का कोई स्पष्ट कारण भी अभिलेखों में नहीं दिया गया है। वास्तव में, जाँच अधिकारी ने भी यह नहीं कहा है कि उसने स्थानीय बच्चों से यह जानने का प्रयास किया कि क्या ऐसी कोई घटना वास्तव में हुई थी।

36. इस तथ्य के बावजूद कि न तो अपीलकर्ता का परीक्षण कराया गया, जो कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 53 के तहत आवश्यक है, और न ही अपीलकर्ता से पूछताछ की गई, हमें पीड़िता की बातों पर पूरी तरह अविश्वास करना कठिन प्रतीत होता है।

37. अतः हम पाते हैं कि अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 तथा पोक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 4 एवं 6 के अंतर्गत दोषी सिद्ध किया जाना उचित है। मुकदमे के दौरान अपीलकर्ता द्वारा पीड़िता की आयु को लेकर कभी कोई आपत्ति नहीं उठाई गई।

38. हालांकि, अपीलकर्ता पर लगाए गए दंड के संबंध में हमें कुछ आरक्षण अवश्य हैं। यह घटना वर्ष 2017 की है, जब भारतीय दंड संहिता की धारा 376 तथा पोक्सो अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत दंड अनिवार्य रूप से 20 वर्षों का कारावास नहीं था, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता था, अर्थात् प्राकृतिक जीवनकाल के शेष भाग तक कारावास।

39. यह आवश्यक है कि भारतीय दंड संहिता और पोक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं में किए गए विधिक संशोधनों की ओर ध्यान दिया जाए।

40. दिनांक 03.02.2013 से पूर्व , भारतीय दंड संहिता की धारा 375 एवं 376 के प्रासंगिक अंश इस प्रकार थे:

“375. बलात्कार.—“बलात्कार” तब कहा जाता हैजब कोई पुरुष,

निम्नलिखित छह परिस्थितियों में से किसी एक में, (नीचे उल्लिखित अपवाद को छोड़कर) किसी स्त्री के साथ संभोग करता है:-

सबसे पहले—उसकी इच्छा के विरुद्ध।

दसूरा —उसकी सहमति के बिना।

तीसरा — * * *

चौथा — * * *

पाँचवाँ — * * *

छठा—उसकी सहमति के साथ या उसके बिना, जब वह सोलह साल से कम उम्र की हो।

स्पष्टीकरण।— * * *

376. बलात्कार के लिए दंड —(1) जो कोई, उपधारा (2) में वर्णित मामलों को छोड़कर, बलात्कार करता है, उसे कारावास से दंडित किया जाएगा, जो कम से कम सात वर्ष का होगा, परंतु जिसे आजीवन या

अधिकतम दस वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा:परंतु यदि जिस स्त्री के साथ बलात्कार किया गया हो, वह उसी व्यक्ति की पत्नी हो और उसकी आयु बारह वर्ष से कम न हो, तो ऐसे मामलों में उसे ऐसे कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि दो वर्षों तक हो सकती है, या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। न्यायालय के पास पर्याप्त एवं विशेष कारण हों, जो निर्णय में अंकित किए जाएंगे, तो न्यायालय सात वर्ष से कम की सजा भी दे सकता है।

(2) जो भी हो-

(अ) * * *

(i)-(iii) * * *

(ख)- (ज) * * *

(च) बारह वर्ष से कम आयुकी महिला से बलात्कार करता है; या

(छ) * * *

एक ऐसी अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जो दस साल से कम नहीं होगा लेकिन जो जीवन भर के लिए हो सकता है और जर्मुने के लिए भी उत्तरदायी होगा: बशर्ते कि न्यायालय, निर्णय में उल्लिखित किए जाने वाले पर्याप्त और विशेष कारणों के लिए, दस साल से कम की अवधि के लिए किसी भी विवरण के कारावास की सजा दे सकता है।

स्पष्टीकरण 1.— * * *

स्पष्टीकरण 2.— * * *

स्पष्टीकरण 3.— * * *

41. आपराधिक कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का 3), (जिसे इसके बाद "अध्यादेश" के रूप में संदर्भित किया गया है) को भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी

किया गया था। अध्यादेश की धारा 8, अन्य बातों के साथ, भारतीय दंड संहिता की धारा 375, 376 और 376-क को प्रतिस्थापित करती है; प्रतिस्थापित प्रावधानों का प्रासंगिक पाठ है:

"375. यौन उत्पीड़न।—एक व्यक्ति को "यौन उत्पीड़न" करने के लिए कहा जाता है यदि वह व्यक्ति -

(क) अपने लिंग को किसी भी हद तक किसी अन्य व्यक्ति की योनि , मुँह, मूत्रमार्ग या गद्दा में प्रवेश कराता है उस व्यक्ति को अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए मजबूर करता है; या

(ख)-(घ) * * *

(ङ) व्यक्ति की योनि , लिंग , गद्दा या स्तन को छूता है या व्यक्ति को उस व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति की योनि , लिंग , गद्दा या स्तन को छूता है। जब तक कि भेदन या स्पर्श उचित स्वच्छता अथवा चिकित्सीय उद्देश्य से , निम्नलिखित सात परिस्थितियों में किया गया हो तब तक उसे अपराध नहीं माना जायेगा -

सबसे पहले —दूसरे की इच्छा के विरुद्ध।

दूसरा—दूसरे व्यक्ति की सहमति के बिना।

तीसरी बात— * * *

चौथा— * * *

पाँचवाँ— * * *

छठा —दूसरे व्यक्ति की सहमति के साथ या उसके बिना, जब ऐसा अन्य व्यक्ति अठारह वर्ष से कम आयु का हो।

सातवाँ— * * *

स्पष्टीकरण 1.— * * *

स्पष्टीकरण 2.— * * *

स्पष्टीकरण 3.— * * *

अपवाद — * * *

376. यौन उत्पीड़न के लिए सजा—(1) जो कोई , उप-धारा (2)में किये गए प्रावधान को छोड़कर यौन उत्पीड़न करनेवाले को किसी एक प्रकार के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जो सात वर्ष से म नहीं होगा, लेकिन जो आजीवन कारावास तक बढ़ सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा ।

(2) जो भी हो -

(अ) * * *

((i)-(iii) * * *

(ख)-(ड) * * *

(च) हमला किए गए व्यक्ति का रिश्तेदार, अभिभावक या शिक्षक या विश्वास या अधिकार की स्थिति में व्यक्ति होने के नाते ऐसे व्यक्ति पर यौन हमला करता है; या

(च) * * *

(ज) किसी व्यक्ति पर तब यौन हमला करता है जब वह व्यक्ति अठारह वर्ष से कम आयु का हो; या

((ज)-(ज) * * *

(ठ) यौन हमला करते समय गंभीर शारीरिक नुकसान होता है या किसी व्यक्ति को अपंग या विकृत या जीवन को खतरे में डालता है या

(ड) * * *

उसे उस अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जो यह दस वर्ष से कम नहीं होगा, लेकिन जो आजीवन कारावास तक बढ़ सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

स्पष्टीकरण * * *

स्पष्टीकरण * * *

42. आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 (2013 का 13), (जिससे इसके बाद "संशोधन अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) को राष्ट्रपति की मजंसी मिली और इसे 02.04.2013 पर प्रकाशित किया गया था, लेकिन 03.02.2013 से पूर्वप्रभावी प्रभाव दिया गया था। संशोधन अधिनियम की धारा 9, अन्य बातों के साथ, भा.दं.सं की धारा 375, 376 और 376-क को निम्नानुसार प्रतिस्थापित करती है:

"375. बलात्कार — यदि कोई पुरुष निम्नलिखित कृत्य करता है तो कहा जायेगा उसने बलात्कार किया है -

(क) अपने लिंग को किसी भी हद तक किसी महिला की योनि, मुँह, मूत्रमार्ग या गद्गु में प्रवेश कराता है या उसे अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए मजबूर करता है; या

(ख)-(घ) * * *

निम्नलिखित सात विवरणों में से किसी के अतर्गत आनेवाली परिस्थितियों में-
सबसे पहले—उसकी इच्छा के विरुद्ध।

दसूरा —उसकी सहमति के बिना।

तीसरा— * * *

चौथा।— * * *

पाँचवाँ— * * *

छठा—उसकी सहमति के साथ या उसके बिना, जब वह अठारह वर्ष से कम उम्र की हो।

सातवाँ— * * *

स्पष्टीकरण 1. — * * *

स्पष्टीकरण 2.— * * *

अपवाद 1.— * * *

अपवाद 2.— * * *

376. बलात्कार के लिए सजा—(1) जो कोई भी, उप-धारा (2) में

उपबध्तिंत मामलों को छोड़कर, बलात्कार करता है, उसे किसी भी विवरण के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जो सात साल से कम नहीं होगा, लेकिन जो आजीवन कारावास तक बढ़ सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(2) जो भी हो -

(क)-(ड) * * *

(च) महिला का रिश्तदार, अभिभावक या शिक्षक या महिला के प्रति विश्वास या अधिकार की स्थिति में व्यक्ति होने के नाते ऐसी महिला के साथ बलात्कार करता है; या

(छ)-(ज) * * *

((छ) सोलह वर्ष से कम आयु की महिला से बलात्कार करता है; या

(ज)-(ठ) * * *

(ड) बलात्कार करते समय गंभीर शारीरिक नुकसान होता है या किसी महिला के जीवन को अपांग या विकृत या जोखिम में डालता है ; या

(ढ) * * *

कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जो आजीवन कारावास तक बढ़ सकती है, जिसका अर्थ होगा उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

स्पष्टीकरण।— * * *

43. आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का 22) जो 21-4-2018 से प्रभावी हुआ भा.दं.सं.की धारा 376 (2) के खंड (i) को हटा दिया गया और धारा 376 (2) के बाद उप धारा 3 में जोड़ा गया और साथ ही धारा 376-कख को निम्नानुसार जोड़ा गया :

376. (1)-(2) * * *

(3) जो कोई भी सोलह वर्ष से कम आयु की महिला के साथ बलात्कार करता है, उसे कठोर कारावास की सजा दी जाएगी जो बीस वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जो आजीवन कारावास तक बढ़ सकती है, जिसका अर्थ है की व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास और जुर्माना के लिए भी उत्तरदायी होगा

* * *

376-क ख । बारह वर्ष से कम आयु की महिला के साथ बलात्कार के लिए सजा

जो कोई किसी बारह वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ बलात्कार करता है, उसे कठोर कारावास से दण्डित किया जाएगा जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो उसके शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक बढ़ाई जा सकेगी, तथा उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा या उसे मृत्युदण्ड दिया जा सकेगा।

44. पोक्सो अधिनियम की धारा 5 और 6, उस समय जब तत्काल मामले में अपराध किया गया था, कहता है:

“5. उग्र भेदक यौन हमला—

(क)-(ड) * * *

(अ) जो कोई भी किसी बच्चे पर भेदक यौन हमला करता है, जो -

(ट) बच्चे को शारीरिक रूप से अक्षम करता है या बच्चे को मानसिक

स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 (1987 का 14) की धारा 2 के खंड (बी) के तहत

परिभाषित मानसिक रूप से बीमार होने का कारण बनता है या किसी भी प्रकार की हानि का कारण बनता है ताकि बच्चा अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से नियमित कार्यों को करने में असमर्थ हो।

((ii) कन्या के मामले में, यौन हमले के परिणामस्वरूप बच्चे को गर्भवती बनाता है;

(iii) बच्चे को ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस या किसी अन्य जानलेवा बीमारी या संक्रमण से पीड़ित करता है जो या तो अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से बच्चे को शारीरिक रूप से अक्षम कर सकता है, या नियमित कार्य करने के लिए मानसिक रूप से बीमार कर सकता है;

(ड) जो कोई भी बारह वर्ष से कम उम्र के बच्चे पर भेदक यौन हमला करता है; या

(ढ)-(यू) * * *

6. बड़े हुए भेदक यौन उत्पीड़न के लिए सजा—जो कोई भी गंभीर भेदक यौन हमला करता है, उसे कठोर कारावास की सजा दी जाएगी जो दस साल से कम नहीं होगी, लेकिन जो आजीवन कारावास तक बढ़ सकती है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगी।

45. यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का 25) के आधार पर, जो 16.08.2019 पर प्रभावी हुआ, धारा 5 के खंड (जे) में उपखंड (iv) को निम्नानुसार जोड़ा गया था:

“5. (जे) (iv) बच्चे की मृत्यु का कारण बनता है; या

46. इसके अलावा, धारा 6 को प्रतिस्थापित किया गया था

इसके अंतर्गत:

“6. बड़े हुए भेदक यौन उत्पीड़न के लिए सजा

—(1) जो कोई भी गंभीर भेदक यौन उत्पीड़न करता है, उसे कठोर कारावास की सजा दी जाएगी जो बीस साल से कम नहीं होगी, लेकिन जो आजीवन कारावास तक बढ़ सकती है, जिसका अर्थ होगा उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास, और जुर्माने या मृत्यु के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(2) उप-धारा (1) के तहत लगाया गया जुर्माना न्यायसंगत और उचित होगा और पीड़ित को ऐसे पीड़ित के चिकित्सा खर्च और पुनर्वास के लिए भुगतान किया जाएगा।

47. यदि भा.दं.सं. के उपर्युक्त प्रावधानों पर तीन खंडों में विचार किया जाता है, अर्थात्

(क) 3-2-2013 से पहले प्राप्त होने वाली स्थिति;

(ख) 3-2-2013 से 2-4-2013 के दौरान मौजूद स्थिति; और,

(ग) 2-4-2013 के बाद प्राप्त होने वाली स्थिति;

निम्नलिखित विशेषताएं सामने आती हैं:

48. धारा 375 के तहत अपराध, जैसा कि कम्पार्टमेंट (क) में प्रासंगिक प्रावधान की परिभाषा से स्पष्ट है, एक महिला के खिलाफ किया जा सकता है। स्थिति को बदलने और कम्पार्टमेंट (ब) में लिंग तटस्थ बनाने की मांग की गई थी। हालाँकि, कम्पार्टमेंट (ग) में प्रावधानों के परिणामस्वरूप पहले की स्थिति अब बहाल हो गई है।

49. 3-2-2013 से पहले धारा 376 (1) के तहत किसी अपराध के लिए सजा सात साल से कम नहीं हो सकती थी, लेकिन अधिकतम सजा आजीवन कारावास हो सकती थी; और धारा 376 (2) के तहत किसी अपराध के लिए न्यूनतम सजा दस साल से कम नहीं हो सकती थी जबकि अधिकतम सजा आजीवन कारावास हो सकती थी। धारा 376-क उन मामलों से संबंधित है जहां एक व्यक्ति ने अपने के साथ गैर-सहमति से यौन संबंध बनाए। कुछ स्थितियों में पत्नी।

50. इस निष्कर्ष पर पहुंचने पर कि अपीलकर्ता भा.दं.सं. की धारा 376 और पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 4 और 6 के तहत दोषी ठहराए जाने के लिए उत्तरदायी है, लगाए जाने वाले उचित दंड पर विचार करने की आवश्यकता है।

51. यह घटना वर्ष 2017 में हुई थी जब ऊपर उल्लिखित अपराधों के लिए सजा कम थी।

52. तत्काल मामले में, सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें यह भी शामिल है कि यह इंगित करने के लिए कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है कि अपीलकर्ता की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि है और वह एक पारिवारिक व्यक्ति है, ऐसा प्रतीत होता है कि यह आशंका करने का कोई कारण नहीं होगा कि अपीलकर्ता भविष्य में इसी तरह के कृत्यों में लिप्त होगा।

53. अन्यथा भी, एक दोषी को भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 (1) का संरक्षण प्राप्त है जो यह आदेश देता है कि किसी भी व्यक्ति को उस समय के लागू कानून के उल्लंघन के अलावा किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा। एक अपराध के रूप में आरोपित अधिनियम के आयोग के अधीन नहीं किया जाएगा, और न ही उससे अधिक दंड के अधीन किया जाएगा जो अपराध करने के समय लागू कानून के तहत लगाया जा सकता था।

54. हमने अपीलकर्ता की ओर से इस निवेदन को भी ध्यान में रखा है कि पिछले साढ़े सात वर्षों से जेल में उसका आचरण अनुकरणीय रहा है और उसने जेल के अधीक्षक की पूरी संतुष्टि के लिए जेल के कैदियों को शिक्षा प्रदान की है, जिन्होंने प्रशंसा प्रमाण पत्र भी जारी किया है। इसके अलावा, अभिलेख में यह संकेत देने के लिए कुछ भी नहीं है कि अपीलकर्ता को अधिकतम सजा दिए जाने के लिए किसी भी सुधार से परे है।

55. मामले के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, हम पाते हैं कि भा.दं.सं.की धारा 376 और पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 4 और 6 के तहत अपराध के लिए 10 साल की सजा पर्याप्त और क्षम्य होगी।

56. हमने ऐसा इसलिए भी कहा है कि वर्तमान में कर्ता, के आकलन के अनुसार। विचारणीय न्यायालय , अब तक एक सप्तवर्षीय व्यक्ति होगा।

57. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

58. इस प्रकार, अपीलकर्ता की दोषसिद्धि कायम रहती है लेकिन वाक्यों को ऊपर बताए गए हद तक संशोधित किया जाता है।

59. सजा में संशोधन के साथ अपील खारिज कर दी जाती है।

60. इस मामले के अभिलेखों को तुरंत विचारण न्यायालय को प्रेषित किया जाएगा।

61. अंतर्वर्ती आवेदन, यदि कोई हो, का भी तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।

(आशुतोष कुमार, न्यायमूर्ति)

(जितेंद्र कुमार, न्यायमूर्ति)

राजेश/रवि/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।